(2010) 10 S.C.R. 30

मदन मोहन सिंह और अन्य

बनाम

रजनी कांत और अन्य

(सिविल अपील संख्या 6466/2004)

अगस्त 13, 2010

(पी. सदाशिवम व डॉ० बी.एस. चौहान, जेजे.)

यू.पी. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953-धारा 9ए(2) -प्रत्यर्थीगण द्वारा विवादित खाते में मृतक खातेदार के उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम शामिल करने के लिये दायर की गई आपत्तियां -अपीलार्थीगण ने यह तर्क देते हुए प्रत्याक्षेप दायर किये कि प्रत्यर्थीगण की माता, अधिक से अधिक, मृतक खातेदार की उपपत्नी हो सकती है और नाजायज बच्चे होने के नाते, प्रत्यर्थीगण को विवादित खाता में किसी भी हिस्से को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था- वैधानिक प्राधिकारियों ने चकबंदी अधिनियम के तहत समवर्ती रूप से प्रत्यर्थीगण के पक्ष में अभिनिर्धारित किया और उनके नाम दर्ज करना निर्देशित किया- उच्च न्यायालय द्वारा आदेश बरकरार रखा गया- अपील पर, अभिनिर्धारित किया: मृतक खातेदार और प्रत्यर्थीगण की माता के बीच लिव-इन-रिलेशनशिप एक लंबे समय तक जारी रहा, और इस प्रकार उनके बीच विवाह की उपधारणा थी जिसका अपीलकर्ता खंडन

करने में विफल रहे -अपीलार्थीगण द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई सामग्री प्रत्यर्थीगण के दावे पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं है और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्ष इस आधार पर अस्तव्यस्त नहीं किये जा सकते- अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़,यदि स्वीकार किए जाते हैं, तो वे न केवल असंभाव्यताओं और असंभवताओं की ओर ले जाने वाले होंगे बल्कि आधारहीन भी होंगे- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य के पुनः मूल्यांकन के लिये आवश्यक कोई विशेष तथ्य और परिस्थितियाँ नही है-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 136

साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 32(5) और 35- आधिकारिक रिकॉर्ड में प्रविष्टि- का संभावित मूल्य-ऐसे मामलो में वांछित प्रमाण का मानक।

साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 114-लिव-इन पार्टनर्स से जन्मे बच्चों की वैधता- अभिनिर्धारित किया: जब एक पुरुष और एक स्त्री ने कई वर्षों तक लगातार सहवास किया है तो विधि, विवाह के पक्ष में और उपपत्नीत्व के, विरूद्ध उपधारणा करती है,- हालाँकि, ऐसी उपधारणा का खंडन असंदिग्ध साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है।

अपीलार्थीगण का पिता 'सी' प्रश्नगत खाता का खातेदार था । वर्ष 1945 में उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद, 'सी' का एक 'एसएच' के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप था जो 1979 में उसकी मृत्यु तक जारी रहा। प्रत्यर्थीगण, जो 'सी' और 'एसएच' के बीच कथित तौर पर इस रिश्ते से

पैदा हुए, ने 'सी' के उत्तराधिकारियों के रूप में उनका नाम शामिल किए जाने का दावा करते हुए यू.पी. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 9-ए(2) के तहत आपत्तियां दाखिल की। अपीलार्थीगण ने विवादित खाते में प्रत्यर्थीगण का कोई अधिकार या हित नहीं होना कहते हुए प्रतिवाद दायर किये।

चकबंदी अधिनियम के तहत, चकबन्दी अधिकारी यानि वैधानिक प्राधिकारी ने प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल आपत्तियों को स्वीकार किया और निर्देश दिया कि उनके नाम दर्ज किये जावें। बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष अपील व निगरानी में भी आदेश को बरकरार रखा गया। इसके बाद अपीलार्थीगण ने रिट याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

इससे क्षुब्ध होकर, अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कुछ नहीं था कि उनके पिता ने 'एसएच' से विधिपूर्वक विवाह किया था;कि 'एसएच', अधिक से अधिक 'सी' की उपपत्नी हो सकती है; और नाजायज संतान होने से प्रत्यर्थीगण को विवादित खाते में कोई भी हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलार्थीगण ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष, उनके द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किये गए दस्तावेज़ों से विकृत और विपरीत थे और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को स्वयं सबूतों का मूल्याकन करना चाहिए और कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित:

1. यू.पी. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 के अंतर्गत वैधानिक प्राधिकारी, सिविल न्यायालय के साथ-साथ राजस्व न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हैं क्योकि एक बार चकबन्दी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने की अधिसूचना जारी होते ही, सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मामले उपशमित हो जाते हैं। चकबन्दी अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को स्वामित्व या संपत्ति आदि का उत्तराधिकार प्राप्त करने के अधिकार के, किसी भी मामले में निर्णय देने के लिये सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इस मामले में, चकबंदी अधिनियम के तहत तीन प्राधिकारियों ने रिकॉर्ड पर संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना के उपरांत, तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किये, जिनकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी [पैरा 6,7) [39-ए-डी; 40-बी-सी)

2.1. वर्तमान मामले में,अपीलार्थीगण ने, अधिकृत व्यक्तियों द्वारा आधिकारिक कर्तव्य के प्रयोग में तैयार किये गये स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र,स्कूल रजिस्टर,मतदाता सूचियाँ और अन्य दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर पेश किये। इनमें इतनी असंगतता है कि इन दस्तावेज़ों को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता। कथित दस्तावेज़ों को यदि ध्यान में रखा जाये तो वे साधारणतया न केवल असंभाव्यताओं और असंभावनाओं की और ले जाने वाले होगे बल्कि अर्थहीनता की और ले जायेंगे। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधीनस्थ न्यायालयो में से किसी ने भी इन दस्तावेजों का विचार करते

समय, इस तरीके से विश्लेषण नही किया और किसी भी अधिवक्ता ने इन चौंकाने वाले तथ्यो को न्यायालयों के ध्यान में लाना उचित नही समझा। [पैरा 8,9 और 12) [40-जी-एच; 41-ई-एफ; 42-ई-एफ]

2.2. इसलिए, एक दस्तावेज़ ग्राह्य हो सकता है, लेकिन उसमें निहित प्रविष्टि का कोई संभावित मूल्य है, इसकी किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जांच की जानी आवश्यक हो सकती है। चाहे प्रविष्टि संबंधित अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में आधिकारिक रिकॉर्ड में की हो, इसका महत्व हो सकता है , लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति की सूचना पर प्रविष्टि की गई है, उसके द्वारा पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है तथा क्या एेसे की गई प्रविष्टि, प्रदर्शित और सिद्ध की गई है। इसमें सबूत का मानक अन्य सिविल और आपराधिक मामलों के समान ही है। किसी अधिकारी या आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में अधिकृत व्यक्ति द्वारा आधिकारिक रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियां साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत ग्राह्य हो सकती हैं परन्तु अदालत को उनके संभावित मूल्य की जांच करने का अधिकार है। प्रविष्टियों की प्रमाणिकता इस बात पर निर्भर करेगी कि ऐसी प्रविष्टियाँ किसकी सूचना पर दर्ज की गईं और उसकी जानकारी का क्या स्रोत था। स्कूल रजिस्टर/स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र में प्रविष्टि को कानून के अनुसार साबित करने की आवश्यकता होती है और ऐसे मामलों में सबूत के मानक किसी भी अन्य सिविल या आपराधिक मामलों के समान ही होते हैं। किसी

व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए, उसके माता-पिता की साक्ष्य सर्वोत्तम है यदि वह निर्विवाद दस्तावेजों द्वारा समर्थित है। यदि स्कूल रजिस्टर/प्रमाणपत्र में दर्शाई गई जन्मतिथि विश्वसनीय व्यक्तियों की निर्विवाद साक्ष्य और नगर निगम, सरकारी अस्पताल/नर्सिंग होम आदि के जन्मतिथि रजिस्टर जैसे समकालीन दस्तावेजों से गलत साबित होती है, तो स्कूल रजिस्टर की प्रविष्टि को नामंजूर किया जाना है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष जन्म तिथि पर भरोसा करना चाहता है और किसी दस्तावेज़ के द्वारा साबित करना चाहता है, तो उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(5) के संदर्भ में, उसमें उल्लेखित तिथि, समय की वास्तविकता, विशेष जानकारी के स्रोत वाले व्यक्ति को परीक्षित कर, इसकी प्रमाणिकता साबित करनी होगी।

बिहार राज्य एवं अन्य बनाम राधा कृष्ण सिंह और अन्य ए आई आर 1983 एस सी 684; राम प्रसाद शर्मा बनाम बिहार राज्य ए आई आर 1970 एस सी 326; राम मूर्ति बनाम हरियाणा राज्य ए आई आर 1970 एस सी 1029; दयाराम एवं अन्य बनाम दोलतशाह एवं अन्य ए आई आर 1971 एस सी 681; हरपाल सिंह एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए आई आर 1981 एस सी 361; रविंन्द्र सिंह गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006)5 एस सी सी 584; बब्लू पासी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (2008)13 एस सी सी 133; देश राज बनाम बोध राज ए आई आर 2008 एस सी 632; राम सुरेश सिंह बनाम प्रभात सिंह @छोटू सिंह एवं अन्य

(2009)6 एस सी सी 681; बृज मोहन सिंह बनाम प्रिया ब्रत नारायण सिन्हा और अन्य ए आई आर 1965 एस सी 282; बिराद मल सिंन्घवी बनाम आनंद पुरोहित ए आई आर 1988 एस सी 1796; विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 1 एस सी सी 283; सतपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य जेटी 2010 (7) एस सी बी 500; उपदेश कुमार एवं अन्य बनाम पृथ्वी सिंह और अन्य (2001) 2 एस सी सी 524 और पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह ए आई आर 2005 एस सी 1868, पर भरोसा किया।

मो. इकराम हुसैन बनाम यूपी राज्य एवं अन्य. एआईआर 1964 एस सी 1625; संतेनु मित्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए आई आर 1999 एस सी 1587, संदर्भित।

3.1 न्यायालयों ने लगातार यह माना है कि जब एक पुरुष और महिला कई वर्षों तक लगातार एक साथ रहते हैं तो कानून, विवाह के पक्ष में और उपपत्नीत्व के खिलाफ उपधारणा करता है। हालाँकि इस तरह की धारणा का खंडन निर्विवाद सबूतों के आधार पर किया जा सकता है। (पैरा 21) (45-सी-डी)

3.2 इस मामले में, अपीलार्थीगण द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई सामग्री को प्रत्यर्थीगण के दावे पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को, इस सामग्री के आधार पर पलटा नहीं जा सकता। अपीलार्थीगण का मामला यह है कि प्रत्यर्थीगण का जन्म 1960 से पहले यानी 'सी' के

'एसएच' के साथ रहना शुरू करने के वर्ष से पूर्व हुआ था। मतदाता सूचियाेंं (एकत्र) के अनुसार, 'एसएच' का जन्म लगभग 1941 के आसपास हुआ था। यदि अपीलार्थीगण द्वारा दायर दस्तावेजों को सच माना जाता है, तो किसी को इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि 'एसएच' ने अपनी दो बेटियों को जन्म उस समय दिया, जब वह केवल 5-6 वर्ष की थी और यदि, -प्रत्यर्थी संख्या 1, का प्रमाण पत्र (यूनानी दवाओं का अभ्यास करने का प्रमाण-पत्र जिसमें उसकी जन्मतिथि दर्शायी गई है) सत्य माना जाता है और मतदाता सूचियों (एकत्र) में वर्णित दस्तावेजों की रोशनी में विचार किया जाता है तो गणितीय रूप से स्पष्ट होता है कि 'एसएच' ने अपने जन्म से भी पहले, प्रत्यर्थी संख्या 1 को जन्म दिया । यदि उक्त सभी प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो वे न केवल असंभवता और असंभावयता की ओर ले जाएंगे, बल्कि अर्थहीनता को भी जन्म देंगे। इस मामले में किसी भी अधीनस्थ अदालत ने दस्तावेजों का सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण नहीं किया। यदि लिव-इन-रिलेशनशिप इतने लंबे समय तक जारी रही है, तो इसे "वॉक इन एंड वॉक आउट" संबंध नहीं कहा जा सकता है और उनके बीच विवाह की धारणा है, जिसका अपीलकर्ता खंडन करने में विफल रहे। अपील में विशेष तथ्य और परिस्थितियाँ नहीं हैं जिनके कारण साक्ष्य के पुनः महत्व जांचने की आवश्यकता हो क्योंकि अपील पूरी तरह से अविश्वसनीय/विरोधाभासी दस्तावेजों पर आधारित है। (पैरा 22, 23) (45-एफ-एच; 46-ए-सी)

एस.पी. एस. बालासुब्रमण्यम बनाम सुरुत्तायन उर्फ अंदाली पदायची और अन्य ए आई आर 1992 एस सी 756; मोहब्बत अली खान बनाम. मो. इब्राहिम खान ए आई आर 1929 पीसी 135; गोकलचंद बनाम प्रवीण कुमार ए आई आर 1952 एस सी 231; एस.पी.एस. बालासुब्रमण्यम बनाम सुरुत्तायन (1994) 1 एस सी सी 460; रंगनाथ परमेश्वर पंडितराव माली बनाम एकनाथ गजानन कुलकर्णी (1996) 7 एस सी सी 681 और शोभा ह्यमावती देवी बनाम सेट्टी गंगाधर स्वामी और अन्य (2005) 2 एस सी सी 244, पर भरोसा किया ।

एस. खुशबू बनाम कन्नियाम्मल एवं अन्य (2010) 5 एस सी सी 600 और लता सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य ए आई आर 2006 एस सी 2522, को संदर्भित किया गया

न्याय दृष्टांत संदर्भित:

ए आई आर 1983 एस सी 684 पैरा 13 पर भरोसा किया।

ए आई आर 1970 एस सी 326 पैरा 14 पर भरोसा किया।

ए आई आर 1970 एस सी 1029 पैरा 14 पर भरोसा किया।

ए आई आर 1971 एस सी 681 पैरा 14 पर भरोसा किया।

ए आई आर 1981 एस सी 361 पैरा 14 पर भरोसा किया।

(2006) 5 एस सी सी 584 पैरा 14 पर भरोसा किया।

(2008) 13 एस सी सी 133 पैरा 14 पर भरोसा किया।

एआईआर 2008 एस सी 632 पैरा 14 पर भरोसा किया।

(2009) 6 एस सी सी 681 पैरा 14 पर भरोसा किया।

ए आई आर 1964 एस सी 1625 पैरा 15 को संदर्भित किया।

ए आई आर 1999 एस सी 1587 पैरा 15 को संदर्भित किया।

ए आई आर 1965 एस सी 282 पैरा 17 पर भरोसा किया।

ए आई आर 1988 एस सी 1796 पैरा 17 पर भरोसा किया।

(2006) 1 एस सी सी 283 पैरा 17 पर भरोसा किया।

जेटी 2010 (7) एस सी 500 पैरा 17 पर भरोसा किया।

2001 > 2 एस सी सी 524 पैरा 18 पर भरोसा किया।

ए आई आर 2005 एस सी 1868 पैरा 18 पर भरोसा किया।

सी2010) 5 एस सी सी 600 पैरा 19 को संदर्भित किया गया

ए आई आर 2006 एस सी 2522 में पैरा 19 को संदर्भित किया गया

ए आई आर 1992 एस सी 756 पैरा 20 पर भरोसा किया।

ए आई आर 1929 पीसी 135 पैरा 21 पर भरोसा किया।

ए आई आर 1952 एस सी 231 पैरा 21 पर भरोसा किया।

(1994) 1 एस सी सी 460 पैरा 21 पर भरोसा किया।

(1996) 1 एस सी सी 681 पैरा 21 पर भरोसा किया।

(2005) 2 एस सी सी 244 पैरा 21 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6466/2004.

सिविल विविध रिट याचिका संख्या 19334/2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.8.2003 से

महाबीर सिंह, वी.के. सिंह, टी.एन. सिंह अपीलार्थीगण की ओर से

अभय कुमार प्रत्यर्थी की और से

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

डॉ. बी एस चौहान, जे.

1. यह अपील उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा सिविल विविध रिट याचिका संख्या 19334/2003 में दिनांक 14.8.2003 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण की रिट याचिका को तीन वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा क़ानून के तहत दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों के मद्देनजर खारिज कर दिया था।

2. तथ्य और परिस्थितियां जिनसे यह मामला उत्पन्न हुआ, यह है कि चंद्र देव सिंह ग्राम भोजापुर के खाता संख्या 485, 620, 146 और 66 और ग्राम कंशारी के खाता संख्या 21 के खातेदार के रूप में दर्ज किया गया था। अपील में प्रत्यर्थीगण, रजनी कांत और अंजनी कुमार ने स्वयं को उक्त चंद्र देव सिंह के पुत्र होने का दावा किया और उत्तरप्रदेश जोत

चकबंदी अधिनियम, 1953 (इसके बाद 'चकबंदी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 9-ए (2) के तहत आपत्तियां दायर की और उन्होंने उसके उत्तराधिकारियों के रूप में अपना नाम शामिल करने के लिए कहा। अन्य आपत्ति अपीलार्थीगण ने विवादित खाते में दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि उक्त प्रत्यर्थीगण का मुकदमे की भूमि में कोई अधिकार या हित नहीं था, क्योंकि वे स्वर्गीय चंद्र देव सिंह के पुत्र नहीं थे और अपीलार्थीगण उसके एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी थे। चकबंदी अधिकारी ने बड़ी संख्या में विवाद्यक तय किए और दोनों पक्षों को साक्ष्य पेश करने और प्रस्तुतियाँ देने के लिए सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान कर दिनांक 8.11.2000 को आदेश पारित किया, जिसमें प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर की गई आपत्तियों को स्वीकार किया गया और उनके नाम दर्ज करने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थीगण ने व्यथित होकर, बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील दायर की, जिसे दिनांक 16.2.2001 के निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थीगण ने व्यथित होकर चकबंदी अधिनियम की धारा 48 के तहत निगरानी संख्या 958 दायर की, जिसे भी दिनांक 15.3.2003 के निर्णय और आदेश के द्वारा खारिज कर दिया गया।

3. उक्त निर्णयों और आदेशों को चुनौती देते हुए अपीलार्थीगण ने रिट याचिका संख्या 19334/2003 प्रस्तुत की जिसे भी दिनांक 14.8.2003 के निर्णय और आदेश के द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसलिए, यह अपील हुई।

4. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महाबीर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थीगण की माता श्रीमती सोनबरसा की 1945 में मृत्यु हो गई। अपीलार्थीगण के पिता चंद्र देव सिंह 1945-47 तक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल में रहे। यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थीगण के पिता का विधि अनुसार विवाह प्रत्यर्थीगण की माता श्रीमती शकुन्तला के साथ हुआ हो। शकुन्तला अधिक से अधिक चंद्र देव सिंह की उपपत्नी हो सकती थी और नाजायज संतान होने के कारण, प्रत्यर्थीगण को मुकदमे की जमीन में कोई हिस्सा पाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा प्रत्यर्थीगण का जन्म चंद्र देव सिंह और श्रीमती शकुंतला के बीच लिव-इन-रिलेशनशिप शुरू करने से पहले हुआ था, जैसा कि अपीलार्थीगण द्वारा वैधानिक अधिकारियों के साथ-साथ उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये स्कूल रजिस्टर और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र से स्पष्ट है। उक्त दस्तावेज़ों का किसी भी प्राधिकारी द्वारा उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था । वैधानिक अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्ष ,अपीलार्थीगण द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य के विपरीत होने के कारण दोषपूर्ण हैं। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। इस प्रकार दर्ज किए गए निष्कर्ष, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के विपरीत होने से दोषपूर्ण हैं। अपील में गुण है और इसलिए इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभय कुमार ने तर्क प्रस्तुत किया है कि चकबंदी अधिनियम के तहत तीन वैधानिक प्राधिकारियों ने इस तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष पारित किया है कि चंद्र देव सिंह और श्रीमती शकुंतला काफी समय से साथ रह रहे थे। पति-पत्नी के रूप में उनके रिश्ते को समाज के साथ-साथ परिवार वालों ने भी स्वीकार कर लिया था। कई आधिकारिक दस्तावेजों में, चंद्र देव सिंह का नाम प्रत्यर्थीगण के पिता के रूप में दिखाया गया है। शुरुआत में चंद्रदेव सिंह ने सामाजिक परिस्थितियों के कारण कि उनकी पत्नी श्रीमती सोनबरसा की मृत्यु के बाद भी समाज उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, श्रीमती शकुंतला से रिश्ते का खुलासा नहीं किया। दोनों प्रत्यर्थीगण का जन्म उनके रिश्ते से हुआ था। अपील में कोई सार नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है।

6. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। वास्तव में, चकबंदी अधिनियम के तहत वैधानिक प्राधिकारियों को सिविल न्यायालय के साथ-साथ राजस्व न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त हैं क्योंकि चकबंदी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने की अधिसूचना जारी होने के बाद सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मामले उपशमन हो जाते हैं। चकबंदी अधिनियम के तहत प्राधिकारियों को स्वामित्व के किसी भी मामले या

संपत्ति के उत्तराधिकार आदि पर निर्णय लेने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

निस्संदेह, अभिलेख की संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद चकबंदी अधिनियम के तहत तीन प्राधिकारियों द्वारा तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। प्राधिकारियों ने तथ्यों के निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए हैं:-

(I) चंद्र देव सिंह का लम्बे समय तक श्रीमती शकुन्तला के साथ संबंध रहा था ।

(II) 1945 में अपनी पत्नी सोनबरसा की मृत्यु के बाद, चंद्र देव सिंह श्रीमती शकुन्तला के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में थे और पति-पत्नी के रूप में रहने लगे;

(III) चंद्र देव सिंह 1960-1961 में श्रीमती शकुंतला के साथ एक अलग गांव मुरडाह में रहने लगे।

(IV) उनका रिश्ता 31.12.1979 को चंद्र देव सिंह की मृत्यु तक जारी रहा और इसलिए वे लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहे;

(V) प्रत्यर्थीगण और चार अन्य बेटियों का जन्म चंद्र देव सिंह और श्रीमती शकुन्तला के बीच इस रिश्ते से हुआ था और;

(VI) पति-पत्नी के रूप में उनके रिश्ते को न केवल समाज ने बल्कि परिवार के सदस्यों ने भी स्वीकार कर लिया था।

7. चकबंदी अधिनियम के तहत प्राधिकारियों द्वारा तथ्यों के दर्ज किए गए उपरोक्त समवर्ती निष्कर्षों की हालांकि बिना सबूतों की पूरी तरह से मूल्यांकन किए, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि तीनों अधीनस्थ अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों की साक्ष्य के पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं थी और इसके अलावा रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

8. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महाबीर सिंह ने हमें यह कहते हुए असामान्य प्रक्रिया का सहारा लेने के लिए राजी किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के, तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों के बावजूद, इस न्यायालय को स्वयं साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए क्योंकि रिकार्ड किए गए तथ्यों के निष्कर्ष विकृत हैं। उन्होंने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर बहुत अधिक भरोसा किया है और तर्क दिया है कि उक्त दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद ' साक्ष्य अधिनियम ' कहा जाएगा) की धारा 35 के तहत ग्राहय हैं और केवल उन दस्तावेजों को पढ़ने से, कोई संदेह नहीं रहेगा कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के विपरीत हैं। अपने कथन को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने इस न्यायालय के बड़ी संख्या में निर्णयों पर भरोसा किया है।

हालाँकि, किसी भी कानून में प्रवेश करने से पहले, हम उन दस्तावेजों की जांच करना चाहेंगे जिन पर विद्वान वरिष्ठ वकील बहुत अधिक भरोसा करते हैं। रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज़ मूल रूप से स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र, स्कूल रजिस्टर, मतदाता सूची और अधिकृत व्यक्तियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के प्रयोग में तैयार किए गए अन्य दस्तावेज़ हैं। अनुलग्नक पी-1(एकत्र) लगातार तीन विधान सभा चुनावों की मतदाता सूची की प्रति है। श्रीमती शकुंतला का विवरण उसमें इस प्रकार दर्शाया गया था:-

मतदाता सूची वर्ष	क्र.सं.	मकान नंबर	नाम और पिता /पति/माता का नाम	पुरुष/महिला	आयु
1975	128	20	श्रीमती शकुन्तला-सरस्वती	स्त्री	34
1979	138	20	श्रीमती शकुन्तला-सरस्वती	स्त्री	36

1980	157	20	श्रीमती शकुन्तला-सरस्वती	स्त्री	41

9. ये प्रविष्टियाँ प्रत्यर्थीगण और परिवार के अन्य सदस्यों की जन्मतिथि से संबंधित विवाद को निर्धारित करने के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। अनुलग्नक.पी-1 (एकत्र) में पहले दस्तावेज़ के अनुसार, श्रीमती शकुंतला का जन्म 1941 में होना चाहिए था, क्योंकि वह 1975 में 34 वर्ष की थी। दूसरी सूची के अनुसार उनका जन्म 1943 में होना चाहिए था क्योंकि वह 1979 में 36 वर्ष की थीं। तुरंत एक वर्ष बाद, 1980 में वह 41 वर्ष की हो गई और इस दस्तावेज़ के अनुसार उसका जन्म 1939 में होना चाहिए था।

इतनी अधिक असंगति है कि इन दस्तावेज़ों को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि 1979 में यदि श्रीमती. शकुंतला की उम्र 36 साल थी और 1980 में उनकी उम्र 41 साल दिखाई गई थी तो एक वर्ष की समाप्ति के बाद, उसकी आयु 5 वर्ष बढ़ गई थी।

10. सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 31.7.1984 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, तहसीलदार द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की प्रति, परिशिष्ट पी-3 के रूप में दाखिल की गई है। उसके अनुसार शकुंतला की पुत्री व प्रत्यर्थीगण की बहन आशा देवी का जन्म 7.7.1951 को हुआ था। इसलिए, यदि पहले दस्तावेज़ के अनुसार श्रीमती शकुंतला का जन्म 1941 में हुआ था तो 10 साल की उम्र में आशा को जन्म देने का सवाल ही नहीं उठता।

यदि हम 1979 के दूसरे दस्तावेज़ को देखें तो श्रीमती शकुंतला का जन्म 1943 में हुआ था और वह 1951 में 8 साल की उम्र में आशा को जन्म नहीं दे सकती थी। तीसरे दस्तावेज़ के अनुसार, श्रीमती शकुंतला 1980 में 41 वर्ष की थी। अत: आशा के जन्म के समय श्रीमती शकुन्तला 12 वर्ष की थी। यही स्थिति श्रीमती शकुन्तला की अन्य बेटी सावित्री के संबंध में भी है। अनुलग्नक पी-4 स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र के अनुसार उसकी जन्मतिथि 1.9.1949 दर्ज की गई है। यदि इस दस्तावेज़ को सत्य माना जाए और श्रीमती शकुन्तला की उम्र अनुलग्नक पी-1 (एकत्र) से ली जावे तो हमें यह निष्कर्ष देना होगा कि श्रीमती शकुंतला ने सावित्री को 6 वर्ष की आयु में जन्म दिया।

11. अब हम रजनी कांत, प्रत्यर्थी संख्या 1 की उम्र के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य (अनुलग्नक पी -8) पर आते हैं। उक्त दस्तावेज यूनानी चिकित्सा पद्धति का व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र है और उसमें उसकी जन्मतिथि 15.7.1940 दर्शाई गई है। यदि इस दस्तावेज़ को सत्य माना जाता है और इसकी तुलना अनुलग्नक पी-1 (एकत्र) में दिए गए दस्तावेज़ से की जावे, जिसमें श्रीमती शकुंतला की उम्र 1975 में 34 वर्ष और 1979 में 36 वर्ष दर्शाई गई है, तो गणितिय रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमती शकुंतला ने अपने जन्म से भी पहले उसे जन्म दे दिया ।

12. अपीलार्थीगण द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए व इतना बल दिये गये उपरोक्त दस्तावेज पर यदि सोच विचार किया जावे तो वे न केवल असंभवताओं और असंभावनाओं को जन्म देंगे, बल्कि अर्थहीनता को भी जन्म देंगे। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी अधीनस्थ अदालत ने इन दस्तावेजों पर विचार करते समय उनका विश्लेषण इस प्रकार नहीं किया और किसी भी अधिवक्ता ने इन चौंकाने वाले तथ्यों को अदालतों के ध्यान में लाना उचित नहीं समझा।

13. बिहार राज्य एवं अन्य बनाम राधा कृष्ण सिंह एवं अन्य, ए आई आर 1983 एस सी 684 में यह न्यायालय समान विवाद से निपटा और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

> "किसी दस्तावेज़ की ग्राहयता एक बात है और इसका संभावित मूल्य बिल्कुल अलग-इन दोनों पहलुओं को जोड़ा नहीं जा सकता है। एक दस्तावेज़ ग्राहय हो सकता है और फिर भी उसमें कोई दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता है और उसके संभावित मूल्य का महत्व शून्य हो सकता है।
>
> जहां एक रिपोर्ट एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा दी जाती है, जो गवाहों और दस्तावेजों की साक्ष्य पर आधारित होती है और इसमें "वैधानिक सुगन्ध" होता है कि यह न केवल एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बल्कि एक क़ानून के अधिकार के तहत दी गई है तो इसका संभावित मूल्य

वास्तव में बहुत ऊँचा होगा ताकि भारी वजन की हकदार हो।

दस्तावेज का संभावित मूल्य, जो अपनी जानकारी के स्रोतों का खुलासा नहीं करते हैं या पर्याप्त कुख्याति हासिल नहीं करते हैं,चाहे वे कितने भी प्राचीन हों, बहुत कम है।"

14. इसलिए, एक दस्तावेज़ ग्राहय हो सकता है, लेकिन उसमें निहित प्रविष्टि का कोई संभावित मूल्य है, इसकी किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जांच की जानी आवश्यक हो सकती है। उपरोक्त कानूनी प्रस्ताव की पुष्टि इस न्यायालय के निर्णयों राम प्रशाद शर्मा बनाम बिहार राज्य ए आई आर 1970 एस सी 326; राम मूर्ति बनाम हरियाणा राज्य ए आई आर 1970 एस सी 1029; दयाराम एवं अन्य बनाम दौलतशाह एवं अन्य, ए आई आर 1971 एस सी 681; हरपाल सिंह एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, ए आई आर 1981 एस सी 361; रविंदर सिंह गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) 5 एस सी सी 584; बब्लू पासी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, (2008) 13 एस सी सी 133; देश राज बनाम बोध राज ए आई आर 2008 एस सी 632; एवं राम सुरेश सिंह बनाम प्रभात सिंह उर्फ छोटू सिंह एवं अन्य (2009) 6 एस सी सी 681 से होती है। इन मामलों में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही प्रविष्टि संबंधित अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में आधिकारिक रिकॉर्ड में की गई हो, इसका महत्व हो सकता है, लेकिन फिर

भी, व्यक्ति जिसकी सूचना पर प्रविष्टि की गई है, के द्वारा पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है तथा क्या इस प्रकार की गई प्रविष्टि प्रदर्शित और सिद्ध की गई है। इसमें सबूत का मानक अन्य सिविल और आपराधिक मामलों के समान ही है।

15. ऐसी प्रविष्टियाँ, लागू नियमों और विनियमों आदि के तहत तैयार किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज़, यानी स्कूल रजिस्टर, मतदाता सूची या परिवार रजिस्टर में हो सकती हैं, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत ग्राह्य हो सकती हैं जैसा कि मै. इकराम हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, ए आई आर 1964 एस सी 1625; और संतेनु मित्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए आई आर 1999 एस सी 1587 में अभिनिर्धारित किया गया है।

16. जहां तक किसी अधिकारी या आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में अधिकृत व्यक्ति द्वारा, आधिकारिक रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियों का सवाल है, तो वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत ग्राह्य हो सकती हैं परन्तु अदालत को उनके संभावित मूल्य की जांच करने का अधिकार है। प्रविष्टियों की प्रमाणिकता इस बात पर निर्भर करेगी कि ऐसी प्रविष्टियाँ किसकी सूचना पर दर्ज की गईं और उसकी जानकारी का क्या स्रोत था। स्कूल रजिस्टर/स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र में प्रविष्टि को, कानून के अनुसार साबित करने की आवश्यकता होती है और ऐसे मामलों में सबूत के मानक किसी भी अन्य सिविल या आपराधिक मामलों के समान ही होते हैं।

17. किसी व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए, उसके माता-पिता की साक्ष्य सर्वोत्तम है, यदि वह निर्विवाद दस्तावेजों द्वारा समर्थित है। यदि स्कूल रजिस्टर/प्रमाणपत्र में दर्शाई गई जन्मतिथि विश्वसनीय व्यक्तियों की निर्विवाद साक्ष्य और नगर निगम, सरकारी अस्पताल/नर्सिंग होम आदि के जन्मतिथि रजिस्टर जैसे समकालीन दस्तावेजों से गलत साबित होती है, तो स्कूल रजिस्टर की प्रविष्टि को नामंजूर किया जाना है. (देखें: बृज मोहन सिंह बनाम प्रिया ब्रत नारायण सिन्हा और अन्य ए आई आर 1965 एस सी 282; बिरद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित ए आई आर 1988 एस सी 1796; विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 1 एस सी सी 283; और सतपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य जेटी 2010 (7) एस सी 500)

18. यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष जन्म तिथि पर भरोसा करना चाहता है और किसी दस्तावेज़ के द्वारा साबित करना चाहता है, तो उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(5) या धारा 50 , 51 , 59 , 60 और 61 आदि के संदर्भ में उसमें उल्लिखित तिथि की सत्यता, समय की, विशेष जानकारी के स्रोत वाले व्यक्ति को परीक्षित कर, इसकी प्रामाणिकता साबित करनी होगी। (देखें: उपदेश कुमार और अन्य बनाम पृथ्वी सिंह और अन्य, (2001) 2 एस सी सी 524; और पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह, ए आई आर 2005 एस सी 1868)

19. एस. खुशबू बनाम कन्नियाम्मल और अन्य (2010) 5 एस सी सी 600 में इस न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय लता सिंह बनाम उत्तर

प्रदेश और अन्य राज्य, ए आई आर 2006 एस सी 2522 पर भरोसा करते हुए अभिनिर्धारित किया कि लिव-इन-रिलेशनशिप केवल विषम लिंग के अविवाहित वयस्क व्यक्तियों में ही अनुमत है।

20. एस. पी. एस. बालासुब्रमण्यम बनाम सुरुत्तायन उर्फ अंदली पदयाची एवं अन्य ए आई आर 1992 एस सी 756 में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि पुरुष और महिला एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और कई वर्षों से सहवास कर रहे हैं, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत यह उपधारणा होगी कि वे पति -पत्नी के रूप में रहते हैं और उनसे पैदा होने वाले बच्चे नाजायज़ नहीं होंगे।

21. न्यायालयों ने लगातार यह माना है कि जब एक पुरुष और महिला कई वर्षों तक लगातार एक साथ रहते हैं तो कानून, विवाह के पक्ष में और उपपत्नीत्व के खिलाफ उपधारणा करता है। हालाँकि इस तरह की धारणा का खंडन निर्विवाद सबूतों के आधार पर किया जा सकता है। (देखें: मोहब्बत अली खान बनाम मोहम्मद इब्राहिम खान ए आई आर 1929 पीसी 135; गोकलचंद बनाम परवीन कुमार, ए आई आर 1952 एस सी 231; एस पी एस बालासुब्रमण्यम बनाम सुरुत्तायन, (1994) 1 एस सी सी 460; रंगनाथ परमेश्वर पंडितराव माली बनाम एकनाथ गजानन कुलकर्णी, (1996) 7 एस सी सी 681; और शोभा ह्यमावती देवी बनाम सेट्टी गंगाधर स्वामी और अन्य, (2005) 2 एस सी सी 244)

22. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थीगण द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई सामग्री को प्रत्यर्थीगण के दावे पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को इस सामग्री के आधार पर पलटा नहीं जा सकता। अपीलार्थीगण का मामला यह है कि प्रत्यर्थीगण का जन्म 1960 से पहले यानी चंद्र देव सिंह के श्रीमती शकुन्तला के साथ रहना शुरू करने के वर्ष से पूर्व हुआ था । अनुलग्नक पी 1 (एकत्र) के अनुसार, श्रीमती शकुंतला का जन्म लगभग 1941 के आसपास हुआ था। यदि अपीलार्थीगण द्वारा दायर दस्तावेजों को सच माना जाता है, तो हमें इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि श्रीमती शकुंतला ने अपनी दो बेटियों, आशा और सावित्री को जन्म, उस समय दिया जब वह केवल 5-6 वर्ष की थी और यदि, अनुलग्नक पी 8 में शामिल रजनी कांत-प्रत्यर्थी संख्या 1, का प्रमाण पत्र सत्य माना जाता है और अनुलग्नक पी1 (एकत्र) में निहित दस्तावेजों की रोशनी में विचार किया जाता है तो गणितीय रूप से स्पष्ट हो सकता है कि श्रीमती शकुंतला ने 15.7.1940 को, यानी 1941 में अपने जन्म से भी पहले, प्रत्यर्थी संख्या 1 रजनी कांत को जन्म दिया । यदि उक्त सभी दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो वे न केवल असंभावयताओं और असंभवताओं की ओर ले जाएंगे, बल्कि अर्थहीनता की और ले जायेंगे। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी अधीनस्थ अदालत ने दस्तावेजों का सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण नहीं किया। यदि लिव-इन-रिलेशनशिप इतने लंबे समय तक जारी रहती है, तो इसे "वॉक इन एंड वॉक आउट" संबंध नहीं

कहा जा सकता है और उनके बीच विवाह की धारणा है, जिसका अपीलकर्ता खंडन करने में विफल रहे।

23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील में विशेष तथ्य और परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं की गई हैं जिनके कारण साक्ष्य के पुनः महत्व जांचने की आवश्यकता हो क्योंकि अपील पूरी तरह से अविश्वसनीय/विरोधाभासी दस्तावेजों पर आधारित है जो किसी भी तरह का भरोसा करने लायक नहीं है। तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है। कोई खर्चा नहीं।

बी.बी.बी.

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीपक कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।